कृशक महिलाएँ और उनका सषक्तिकरण

प्रा. डॉ. गुलाबराव विठोबा मंडलीक
आनंदराव धोंडे महाविद्यालय
तह. आश्टी, जिलाबीड

उंदकसपाहअ2016 / हउंपसण्बवउ

इतिहासकार मानते हैं कि सभ्यता के आरंभ में सर्वप्रथम महिलाओं ने ही कृशिकार्य प्रारंभ किया एवं पषुओं को अपनी घरेलू आवष्यकताओं की पूर्ति हेतू पालना प्रारंभ किया। विकासषील देषों में सदियों से ही ग्रामीण महिलाएँ कृशि एवं पषुपालन कार्य में सर्वाधिक योगदान कर रही हैं। आकडे दर्षाते हैं कि भारत की 70 प्रतिषत जनसंख्या कृशि एवं पषुपालन के कार्य से अपनी जीविका अर्जित करती है, एवं कार्य करनेवाली कुल महिलाओं का 84 प्रतिषत कृशि एवं पषुपालन में सलग्न है परंतु हमारी कृशिनीति की यह गलत धारणा बनी हुई है, सभी भारतीय युवक कृशक पुरुश ही है। कृशि एवं ग्रामीण विकास की नीतियों को बनाने एवं लागू करने में महिलाओं के योगदान को अनदेखा किया गया है।

कृशि एवं पषुपालन में योगदान :

विभिन्न अनुसंधानों के परिणामों से यह सिध्द हो चुका है कि कृशि एवं पषुपालन कार्यो में महिलाओं का पुरुशों की अपेक्षा अधिक योगदान है।महिलओंकी विष्व आर्थिक रुपरेखा दर्षाती है कि महिलाएँ विष्व की जनसंख्या का 50 प्रतिषत एवं कुल श्रमबल की 30 प्रतिषत महिलाएँ विष्व के कुल कार्यसमय का 6.6 प्रतिषत कार्य करती है एवं विष्व की कुल आय का 10 प्रतिषत प्राप्त करती है। विष्व की कुल संपत्ती का सिर्फ 1 प्रतिषत महिलाओं के पास है।

षैक्षणिक सषक्तिकरण :

षिक्षा वह प्रकाष है इसके व्दारा अज्ञानता रुपी अंधकार को दूर किया जा सकता है। गुन्नार मिर्डल के कथनानुसार साक्षरता संसार का मार्ग प्रषस्त करती है अन्यथा वह बन्द पडे रहते है। यह किसी भी प्रकार के कौषल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृश्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवष्यक है। नारी की षिक्षा एवं उसके षोशण का सीधा सम्बन्ध है। हेनरी बेरो ब्रोधन हे अनुसार षिक्षा लोगों का नेतृत्व सरल बनाती है लेकिन उन्हें हाँकना कठिन, उन पर षासन करना सरल बनाती है लेकिन उन्हे गुलाम बनाना असंभव है।

सरकार व्दारा महिला षिक्षा और साक्षरता के प्रयास से महिलाओं की साक्षरता 1981 में 29.75 प्रतिषत से 1991 में 39.29 प्रतिषत एवं 2001 में 54.16 प्रतिषत हो गई। पुरुशों (साक्षरता 75.85 प्रतिषत) की तुलना में मात्र दो–तिहाई महिलाएँ ही पढने–लिखने में सक्षम हैं। महिला साक्षरता में कमी को विभिन्न कारक प्रभावित है।

- ग्रामीण आँचलों में स्त्री षिक्षा के प्रति उदासीनता।
- बालिका को पराई मानकर उसके विकास की अवहेलना करना।
- बालिका के पैदा होने पर उसे बोझ समझकर पालना।
- सामाजिक दृश्टि से लडकी का महत्व कम होना।
- बालिका को घरेलू कार्यों में व्यस्त रखने का महत्व।
- बालकों की पढाई को बालिकाओं की अपेक्षा अधिक महत्व।

इन सभी कारणों के फलस्वरुप आज हमारा देष स्त्री षिक्षा के क्षेत्र में वाँछित उन्नति नही कर पाया है। बोस डी.के. (2003) व्दारा किए गए षोध के परिणाम दर्षाते हैं कि षिक्षा का ग्रामीण महिलाओं के निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक

एवं सार्थक सम्बन्ध है एवं निर्णय लेने की क्षमता सषक्तिकरण का एक बडा मानक है। अतःयह कहा जा सकता है की आज भी देष भी अधिकांष महिलाएँ सषक्त नही है।

स्वयं–सहायता समूह एवं स्वयंरोजगार योजनाओं के माध्यम से अनेक कृशक महिलओं की आर्थिक स्थिती में सुधार तो हुआ है, परंतु ये कार्यक्रम कृशक महिलाओं के विकास का बुनियादी अंग नही बन पाये है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखकर सरकार को किसी भी महिला आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से पहले कुछ प्रसार कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि इन योजनाओं से कृशक महिलाएँ आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर हो जाए।

सामाजिक सषक्तिकरण :

भारत में ग्रामीण महिलाएँ सामाजिक रुप से बहुत ही पिछडी हुई हैं। सामाजिक स्तर पर महिलाएँ,पत्नी,माँ एवं गृहिणी की भूमिका के रुप में ही पहचानी जाती है। व्यक्तिगत रुप से उनकी अपनी कोई पहचान नही है इसका मुख्य कारण हैं– हमारा पुरुशप्रधान समाज एवं हमारी परंपराएँ एवं रुढिवादी प्रथाएँ, जैसे कि पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यादान, पुत्रश्ठी यज्ञ एवं मृत्यू के समय पुत्र व्दारा मुखाग्नि हमारी पुरुशप्रधान समाज महिलाओं के सषक्तिकरण को एक अलग बिंदू से देखता है जिससे वह मानता है कि स्त्री सषक्तिकरण का अर्थ है पुरुश समाज को षक्तिविहीन करना।

सरकार ने संविधान के 73 वे संषोधन व्दारा पंचायती राज संस्थाओं में एक–तिहाई स्थान महिलओं के लिए आरक्षित किए है इन सभी महिलाओं के सामाजिक सषक्तिकरण हेतू उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है परन्तु इस प्रयास को सफल बनाने के लिए महिलओं ने राजनीतिक चेतना जागृत करना आवष्यक है। महिला सषक्तिकरण के लिए हमारे प्रसार तंत्र की भूमिका में कुछ नये परिवर्तन करना आवष्यक है। इनमें प्रमुख है –

- महिलाओं की मानसिकता एवं प्रवृत्ति में परिवर्तन।
- पुरुशों की महिलाओं के प्रति मानसिकता में परिवर्तन।
- पुरुशों का महिला सषक्तिकरण पर ज्ञानवर्धन।
- गलत परंपराओं की समाप्ति के लिए जागरुकता।
- महिलाओं का आत्मविष्वास एवं आत्मसम्मान बढाने पर कार्यक्रम।

इन समस्त प्रसार प्रयासों के फलस्वरुप ही महिलाओं का सामाजिक रुप से सषक्तिकरण संभव है।

तकनीकी सषक्तिकरण :

कृशि उत्पादन एवं पशुपालन कार्यों में ग्रामीण महिलओं की भागीदारी बहुत अधिक है अनेक षोध परिणाम दर्षाते है कि ग्रामीण महिलाएँ एक दिन में ढाई से साढे तीन घंटे तक काम समय सिर्फ पशुपालन कार्यों में व्यतित करती है।

जब कि पुरुश इन कार्यों में मात्र एक–दो घंटे का समय ही देते है अर्थात महिलाएँ पुरुशों की तुलना में 4 गुना अधिक कार्य करती है।

मुख्य चार कारण है।

1- पूर्वघोशित एवं संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की सफल देखरेख एवं उनके परिणामों कामूल्यांकन न होना।

2- पशु उत्पादन सम्बन्धित निवेष खरीद एवं अर्जित आय को व्यय करने में कम योगदान होना।

3- कृशक महिलाओं का कृशि उत्पादन संरक्षण को छोडकर कृशि के किसी और क्षेत्र में स्वयंनिर्णय लेने का अधिकार न होना।

4- कृशक महिलाओं की कृशि उत्पादनों की बिक्री में निर्णय का अधिकार पुरुशों से कम होना।

आर्थिक सषक्तिकरण :

सम्पूर्ण सषक्तिकरण हे लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की अहम् भूमिका हैं। आर्थिक रुप से पुरुशों पर निर्भर महिलाएँ अपने अधिकारों के लिए जागरुक होते हुए भी उनका उपयोग नही कर पाती है। वह स्वयं को पुरुशों की तुलना में निम्नश्रेणी का ही मानती है। आय एवं व्यय की जिम्मेदारी न होने के कारण वह अपने को दीन, हीन एवं अयोग्य समझती हैं, जिससे वह दूसरों के सामने अपने विचारों को व्यक्त नही कर पाती है। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांष समय पषुपालन एवं कृशि कार्यों में ही व्यतित होता है, परंतु इससे प्राप्त उत्पादों की बिक्री में उनका कोई योगदान नही रहता है।

कृशक महिलाओं को प्रषिक्षित करने के लिए हमारे प्रसार तंत्र को पुनःप्रतिरुपित करना होगा एवं उसमें निम्नलिखित परिवर्तन करने होंगे।

- महिला प्रसार कर्मीयों की मात्रा में वृध्दी।
- कृशक महिला प्रषिक्षण समूहों का गठन।
- ग्रामीण महिला सम्पर्क कृशक/कृशक मित्र।
- महिला स्वयंसहायता समूह अथवा महिला मंडलों व्दारा प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

कृशक महिलाओं के सषक्तिकरण में प्रसारतंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आवष्यकता है कृशक और पषुपालक महिलाओं के लिए एक अलग प्रसार नीति एवं कार्यक्रम तैयार करने की जिसमें षत–प्रतिषत महिलाओं की ही भागीदारी हो एवं जिसका प्रकाषबिंदू कृशक महिलाएँ हो।